

बिहार सरकार
खेल विभाग

पत्रांक-05/नि० 2-15/2025.....99...../

पटना, दिनांक-30.3/2026

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (ले. एवं ह.),
वीरचन्द्र पटेल पथ,
पटना।


विषय :-

पाटलिपुत्र खेल परिसर एवं पाटलिपुत्र खेल परिसर में इंडोर स्टेडियम तथा चन्द्रगुप्त जल बिहार तरणताल पर पटना नगर निगम का सेवा शुल्क एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क मद में कुल बकाया राशि ₹ 42,18,370/- (बियालिस लाख अठारह हजार तीन सौ सत्तर रूपये) मात्र के विरुद्ध राशि ₹ 38,00,000/- (अड़तीस लाख रूपये) मात्र भुगतान की स्वीकृति।

आदेश :-

- स्वीकृत।
- राशि का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-52 के अधीन बजट शीर्ष 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएँ-104-खेलकूद-0011-खेल-कूद विपत्र कोड-52-2204001040011 के अंतर्गत विषय शीर्ष-14-01-किराया महसूल एवं कर में उपबंधित राशि से होगा।
- इस राशि की निकासी विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खेल विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना में महानिदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना के नाम संधारित पी०एल०खाता PBBPLA035 में अंतरित किया जायेगा।
- स्वीकृत राशि का लेखा-जोखा अलग रखा जायेगा। भारत सरकार/बिहार सरकार के वित्त अंकेक्षण को स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का पूर्ण अधिकार होगा। सम्पूर्ण राशि या इसके किसी अंश का दुरुपयोग प्रमाणित होने पर संस्था से वसूलनीय होगी।
- स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन ससमय खेल विभाग, बिहार, पटना को विहित विपत्र में उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- यह स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-3758, दिनांक-31.05.2017 एवं संकल्प सं०-12888, दिनांक-03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में दी गयी है।
- उक्त बजट शीर्ष में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश सं०-05/नि० 2-15/2025-95 दिनांक-19.03.2026 को रद्द किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(निरंजन कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक-30.3/2026

पटना, दिनांक-30.3/2026

ज्ञापांक-05/नि० 2-15/2025.....99...../

प्रतिलिपि :- महानिदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उप नगर आयुक्त (राजस्व), पटना नगर निगम, पटना को उनके पत्रांक-4170, दिनांक-27.02.2026 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / सभी अवर सचिव / बजट शाखा / लेखा शाखा (दो प्रतियों में) / आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु), खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/03/16

सरकार के संयुक्त सचिव।